भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1880

जिसका उत्तर 11 फरवरी, 2026 को दिया जाना है

रिक्लेम ढांचा

1880. श्रीमती रूपकुमारी चौधरी:
श्री सौमित्र खान:
श्री दिलेश्वर कामैत:
श्री भर्तृहरि महताब:
श्री मुकेशकुमार चंद्रकांत दलाल:
श्री तापिर गाव:
श्री योगेन्द्र चांदोलिया:
श्री कोटा श्रीनिवास पूजारी:
श्री अनूप संजय धोत्रे:
श्री विष्णु दयाल राम:
श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी:
श्री काली चरण सिंह:

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जुलाई, 2025 में शुरू किए गए 'स्थानीय कार्यों के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र और समुदायों का पुनरुद्धार' संबंधी (रिक्लेम) ढांचे के उद्देश्य क्या हैं और इसके कार्यान्वयन ढांचे तथा विशेषकर छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल जैसे खनिज समृद्ध राज्यों में इसके प्रभावी निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई कार्यनीतियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) 'रिक्लेम' ढांचे के तहत देश में अब तक बंद की गई खदानों का छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल सहित खदान-वार ब्यौरा क्या है और राष्ट्रीय पर्यावरणीय लक्ष्यों के साथ-साथ भूमि सुधार, जल स्रोतों, वायु गुणवत्ता और जैव-विविधता पर इसके प्रभाव का ब्यौरा क्या है;

(ग) 'रिक्लेम' ढांचे के प्रारंभ होने के बाद खदान बंद होने से प्रभावित समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर प्रभाव का ब्यौरा क्या है;

(घ) खदानें बंद होने से छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के प्रभावित स्थानीय और जनजातीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में आए परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या खदानें बंद होने से उत्पन्न होने वाले सामाजिक-आर्थिक परिणामों से निपटने के लिए कोई उपाय किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या इन प्रभावों से निपटने के लिए पुनर्वास, कौशल विकास और वैकल्पिक आजीविका से संबंधित कोई विशेष उपाय किए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कोयला एवं खान मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) खान बंद करने के लिए जन केन्द्रित दृष्टिकोण को संस्थागत बनाने के उद्देश्य से कोयला मंत्रालय के अंतर्गत कोयला नियंत्रक संगठन द्वारा रिक्लेम ढ़ांचा कार्यान्वित किया जा रहा है। ढांचे के प्रमुख उद्देश्यों में सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करना, पारिस्थितिक प्रणालियों को बहाल करना, संधारणीय और विविध आजीविका को सक्षम करना, लैंगिक और सामाजिक समावेश सुनिश्चित करना और खनन के बाद भूमि प्रबंधन के लिए दीर्घकालिक स्थानीय क्षमता का निर्माण करना शामिल है।

रिक्लेम ढ़ांचे के अंतर्गत कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) द्वारा छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल सहित सभी कोयलाधारी राज्यों में निम्नलिखित कार्यनीतियां अपनाई गई हैं -

- तकनीकी और जैविक सुधार के माध्यम से पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली, देशी प्रजातियों के साथ वृक्षारोपण, जल निकाय निर्माण, और ओवरबर्डन डंप का स्थिरीकरण।
- कृषि, मछली पालन, इको-पार्क, जल संरक्षण संरचनाओं और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं जैसे वैकल्पिक उपयोगों के लिए बंद खदान भूमि का पुन: प्रयोजन।
- स्थानीय संस्थानों, स्वयं सेवक समूहों और पंचायती राज निकायों की भागीदारी सहित सामुदायिक जुड़ाव और भागीदारी योजना।
- प्रशिक्षकों के लिए सामुदायिक विकास ढांचा प्रशिक्षण और ट्रेनिंग
- आजीविका और सामुदायिक विकास गतिविधियों के लिए खदान बंद एस्क्रो और न्यायसंगत संक्रमण घटकों के तहत निधि निर्धारित करना।

(ख): रिक्लेम ढ़ांचे के लॉन्च के बाद से, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में रीक्लेम ढ़ांचे के तहत किसी भी खान को औपचारिक रूप से विशेष तौर पर बंद नहीं किया गया है, क्योंकि खान बंद

करना एक विनियमित और चरणबद्ध सांविधिक प्रक्रिया है जो अनुमोदित खान बंद करने की योजना द्वारा अभिशासित होती है। तथापि, सीआईएल ने छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल सहित अपने कमान क्षेत्रों में 26 बंद और परित्यक्त खानों को चिन्हित किया है ताकि पारिस्थितिकीय पुनरूद्धार, खनन के बाद भूमि उपयोग और सामुदायिक सहभागिता पर ध्यान केंद्रित करने वाले कार्यकलापों का पुनःप्रयोजन किया जा सके।

(ग) खान बंद होने से प्रभावित समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थितियों को समझने के महत्व को स्वीकार करते हुए, सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों ने खान प्रभावित समुदायों के सामाजिक-आर्थिक आकलन के लिए आईआईटी कानपुर, इंदिरा गांधी जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक, आईआईटीटीएम, ग्वालियर, एमपीआईएसएसआर, उज्जैन आदि जैसे संस्थानों को नियुक्त किया है।

(घ): "कोयले से न्यायसंगत संक्रमण पर अंतर-मंत्रालयी समिति" से संबंधित नीति आयोग की रिपोर्ट में देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए कोयले की आवश्यकता पर जोर दिया गया है और उल्लेख किया गया है कि देश में कोयले की खपत वर्ष 2035 और 2040 के बीच चरम पर होने की संभावना है। देश की कोयले की मांग को पूरा करने के लिए, भंडार समाप्त होने के कारण कोयला खानों को बंद करने के साथ-साथ नई खानें खोली जा रही हैं। इस प्रकार, खानें बंद होने से प्रभावित छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के स्थानीय और जनजातीय समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

(ड़): कोयला मंत्रालय द्वारा जारी खान बंद करने के दिशानिर्देश, 2025 के अनुसार, खान बंद होने से उत्पन्न होने वाले सामाजिक-आर्थिक प्रभावों का समाधान करने और कोयला आधारित रोजगार पर दीर्घकालिक निर्भरता को कम करने के लिए निम्नलिखित प्रावधान निर्धारित किए गए हैं:

(i) जमा की गई पांच वार्षिक एस्क्रो राशि का न्यूनतम 25% सामुदायिक विकास और आजीविका संबंधी कार्यकलापों के लिए उपयोग किया जाएगा जिसके लिए खान बंद करने की योजना को संशोधित किया जा रहा है।

(ii) खान बंद होने के बाद कौशल विकास, संधारणीय आजीविका और रोजगार सृजन के लिए जिला प्रशासन, स्थानीय प्राधिकरण और स्टेकहोल्डरों के परामर्श से खान के बंद होने के बाद सामाजिक-संक्रमण के लिए परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपयोग किए जाने वाले न्यायसंगत परिवर्तन के लिए अंतिम खान बंद लागत से जमा की गई शेष राशि के 10 प्रतिशत की एक निधि सृजित की जानी है।

(च) खनन प्रभावित राज्यों में पुनर्वास, कौशल विकास और आजीविका बहाली के संबंध में निम्नलिखित उपाय किए गए हैं -

i. आजीविका बहाली और विविधीकरण

खान प्रभावित समुदायों के लिए आजीविका सहायता कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, जिनमें कौशल विकास, व्यावसायिक प्रशिक्षण और कृषि और मत्स्य पालन जैसी वैकल्पिक आय-सृजन गतिविधियों को बढ़ावा देना शामिल हैं।

ii. रोजगार और कौशल विकास: निर्माण, सेवाओं और स्वरोजगार सहित गैर-खनन क्षेत्रों में स्थानीय युवाओं और विस्थापित व्यक्तियों की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए सीएसआर पहल के माध्यम से कौशल उन्नयन और क्षमता निर्माण कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

iii. स्वयं सेविक समूहों को सहायता: स्वयं सेवक समूहों और सामाजिक कल्याण लिंकेजों के माध्यम से महिलाओं और भूमिहीन परिवारों सहित समुदाय के कमजोर वर्गों के लिए लक्षित कार्रवाई की गई है।

iv. सामुदायिक अवसंरचना का विकास: सीआईएल ने खान प्रभावित गांवों में पेयजल सुविधाओं, स्वच्छता, सड़कों, स्वास्थ्य सेवाओं, शैक्षिक सहायता और सामुदायिक संपत्ति जैसे मूल अवसंरचना के विकास और रखरखाव को सहायता प्रदान करना जारी रखा है।
